न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 05/18 **सन् 2018**
आरसीएमएस संख्या 2017/00228

बउनवानी:–

1. रामधन पुत्र भोरया माली निवासी कुतलपुरा मालियान तह0 सवाईमाधोपुर
2. धापू पुत्री भोरया माली निवासी कुतलपुरा मालियान तह0 सवाईमाधोपुर
3. मंगली पुत्री भोरया माली निवासी कुतलपुरा मालियान तह0 सवाईमाधोपुर
4. रमेश पुत्र केसरा माली निवासी कुतलपुरा मालियान तह0 सवाईमाधोपुर
5. हंसराज पुत्र केसरा माली निवासी कुतलपुरा मालियान तह0 सवाईमाधोपुर
6. बृजराज पुत्र केसरा माली निवासी कुतलपुरा मालियान तह0 सवाईमाधोपुर
7. कमला बेवा केसरा माली निवासी कुतलपुरा मालियान तह0 सवाईमाधोपुर
8. रामरतन पुत्र सुन्दरा माली निवासी कुतलपुरा मालियान तह0 सवाईमाधोपुर
9. रामभजन पुत्र सुन्दरा माली निवासी कुतलपुरा मालियान तह0 सवाईमाधोपुर
10. सियाराम पुत्र सुन्दरा माली निवासी कुतलपुरा मालियान तह0 सवाईमाधोपुर
11. सम्पत पुत्री सुन्दरा माली निवासी कुतलपुरा मालियान तह0 सवाईमाधोपुर
12. मीरा पुत्री सुन्दरा माली निवासी कुतलपुरा मालियान तह0 सवाईमाधोपुर
13. सुरेश पुत्र बृजमोहन माली निवासी कुतलपुरा मालियान तह0 सवाईमाधोपुर
14. रघुवीर पुत्र बृजमोहन माली निवासी कुतलपुरा मालियान तह0 सवाईमाधोपुर
15. भरतलाल पुत्र बृजमोहन माली निवासी कुतलपुरा मालियान तह0सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार सवाईमाधोपुर
2. सार्वजनि निर्माण विभाग जरिये अधीक्षण अभियंता,सा0नि0विभाग, सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 85 निर्णय दिनांक 25.4.2011 वाके ग्राम कुतलपुरा मालियान तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित:– 1. श्री रविन्द्र सिंह राजावत — वकील अपीलान्ट
2. श्री महावीर चौधरी — पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– **दिनांक 21.10.2019**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 85 निर्णय दिनांक 25.4.2011 वाके ग्राम कुतलपुरा मालियान तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है क्योकि अपीलान्ट के कब्जे काश्त की आराजीयात ख0न0 390 रकबा 0.10 है0, ख0न0 392 रकबा 0.08 है0, ख0न0 393 रकबा 0.05 है0, ख0न0 396 रकबा 0.04 है0, ख0न0 397 रकबा 0.08 है0, ख0न0 399 रकबा 0.08 है, ख0न0 540 रकबा 0.05 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 0.48 है0 वाके ग्राम कुतलपुरा मालियान तहसील सवाईमाधोपुर मे स्थित है उक्त खसरा नम्बरों मे से राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अवैध रूप से नियम विरूद्व कार्यवाही करके ख0न0 390 रकबा 0.03 है0, ख0न0 392 रकबा 0.02 है0, ख0न0 393 रकबा 0.02 है0, ख0न0 396 रकबा 0.01 है0, ख0न0 397 रकबा 0.02 है0, ख0न0 399 रकबा 0.02 है, ख0न0 540 रकबा 0.05 है0

डॉ0 एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

कुल किता 7 कुल रकबा 0.17 है0 भूमि का नामा0 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम उक्त नामा0 भरकर दिनांक 25.4.2011 को तस्दीक करवाया गया है। जबकि उक्त भूमि अपीलान्ट के काश्त मे काम आ रही है तथा उक्त आराजीयात के पास पूर्व में एक रास्ता बना हुआ है। उक्त नामा0 दर्ज करने की समस्त कार्यवाही गुपचुप तरीके से अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिये बिना एवं उक्त भूमि का मुआवजा अपीलान्ट को दिये बिना ही सम्पादित की गयी है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 12.2.2018 को पटवारी हल्का के पास के.सी.सी. के लिए जमाबन्दी लेने गया तो पटवारी हल्का के बताये जाने पर प्राप्त हुई है एवं प्राप्त जानकारी से अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के पेश की गयी है। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि पूर्व में निर्मित डामरीकृत सड़क को सा0नि0विभाग के नाम दर्ज करने हेतु सहायक अभियंता, सा.नि.वि. उपखण्ड तृतीय सवाईमाधोपुर द्वारा उपजिला कलेक्टर स0मा0 को पत्रांक स्पे.1 दिनांक 20.11.2010 से लिखा गया जिसपर उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा नामा0 खोलने के आदेश दिया गया है। उक्त पत्र के साथ सड़क का नक्शा व श्यामपुरा से खिलचीपुर सड़क की फाईनल अवार्ड की सूची तहसीलदार को प्रेषित की गयी थी। उक्त सड़क के लिए अवाप्त की गयी भूमि के पारित अवार्ड के अनुसार के उक्त भूमि के बदले अपीलान्टगण को 1530/–रू अवार्ड दिया जाकर ही सा0नि0विभाग के नाम दर्ज की गयी है। इस प्रकार श्यामपुरा से खिलचीपुर सड़क हेतु पारित फाईनल अवार्ड के अनुसार खातेदारान को मुआवजा राशि का भुगतान करके ही आदेश जैर अपील नामा संख्या 85 दिनांक 25.4.2011 से उक्त भूमि सा0नि0वि0 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की गयी है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखे जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि श्यामपुरा से खिलचीपुर सड़क हेतु जारी फाईनल अवार्ड सूची के अनुसार संबंधित खातेदारान को पारित अवार्ड के अनुसार ही अपीलान्ट की खातेदारी भूमि सा0नि0 विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड मे नामा0 संख्या 85 दिनांक 25.4.2011 से दर्ज की गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं पैरोकार राजस्व के कथन से यह स्पष्ट नही होता है कि उक्त अवार्ड राशि का भुगतान अपीलान्ट को हो चुका है या नही? ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा मुआवजा नही दिये जाने बाबत किये गये कथन पर विचार किया जाना आवश्यक है। चूंकि आदेश जैर अपील से सड़क हेतु अवाप्त की गयी भूमि को राजस्व रिकार्ड मे सा.नि.वि. के नाम दर्ज किया गया है किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। किन्तु न्यायहित में तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को उक्त अवार्ड राशि का भुगतान नही हुआ हो तो तीन माह मे भुगतान कराने की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.11.18 18:53:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: